भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2473

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

संघ राज्य क्षेत्र दीव में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

2473. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संघ राज्यक्षेत्र दीव में दीव नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के एक हिस्से का निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य में नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई अन्य उदाहरण है और यदि हां, तो उस राज्य का नाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दीव में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करते समय तटीय विनियमन क्षेत्र अधिनियम में दिए गए मानदंडों का पालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने किस तरह से सुनिश्चित किया है कि इस निर्णय से समुद्री पर्यावास, दीव के निवासियों, पशुधन (जानवरों), स्थानीय जल निकायों और दीव के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ङ) इस संदर्भ में तैयार की गई पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र दीव में 101.77 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से एनएच-251 के 11.70 किमी के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण कार्य को स्वीकृत किया है।

(ख) लगभग प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो नगरपालिका क्षेत्र से गुजरते हैं और इन क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के इन खंडों के विकास और रखरखाव कार्यों के लिए डीपीआर के परिणाम, पारस्परिक प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सरकार द्वारा स्वीकृति दी जाती है।

(ग) से (ड.) एनएच-251 के 11.70 किमी के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण कार्यों को लोक निर्माण विभाग, संघ राज्य क्षेत्र दीव द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार स्वीकृत किया गया है और प्रस्तावित चौड़ीकरण और सुदृढीकरण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग के उपलब्ध मार्गाधिकार के अंतर्गत हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सलाह दी गई है कि वह सीआरजेड मंजूरी, यदि लागू हो सहित प्रयोज्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

*****